न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 13/20 निर्णय दिनांकः– 22.06.2022

1. कमला जाट पत्नी श्री गोपालराम जाट निवासी 6/127 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09–08–1991
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–
1. श्री ओम भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 09–08–1991 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील खाजूवाला के चक 2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 182/47 व 182/56 में विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के साथ प्रस्तुत किया गया। अपीलांट् द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् दिनांक 09.08.1991 की ऑर्डरशीट में आवेदित भूमि चक 2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 182/47 व 182/56 प्राथमिकता में अन्य को आंवटित होने का लिखा जाकर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जबकि अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–08–1991 के विरूद्व अपील दिनांक 08–01–2020 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट् द्वारा आवेदित भूमि प्राथमिकता में अन्य को आवंटित भूमि है ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–08–1991 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 08–01–2020 को करीब 30 वर्षो बाद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत किया गया है। मियांद प्रार्थना पत्र को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किए गये हैं वो संतोषजनक कारण की परिभाषा में नहीं आते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक चक 2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 182/47 व 182/56 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में प्राथमिकता से अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दी गई। ऐसीस्थिति में जब अपीलांट की प्राथमिकता से पहले किसी अन्य की प्राथमिकता बनती है , लिहाजा उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 09–08–1991 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22-6-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर